::न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अकलेरा, जिला झालावाड़ ::

पीठासीन न्यायाधीश : मुकेश कुमार सोनी
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दुर्घटना दावा याचिका संख्या 20/2021
सी.आई.एस. नम्बर 20/2021

ब्रजमोहन पुत्र पन्नालाल, निवासी कचनारिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

---प्रार्थी

बनाम

01. **दीवानसिंह** पुत्र लालचन्द, निवासी नई बस्ती, असनावर, थाना असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

--वाहन चालक

02. **बाबूलाल** पुत्र लालचन्द, निवासी नई बस्ती, असनावर, थाना असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

---वाहन स्वामी

---अप्रार्थीगण

दुर्घटना दावा याचिका संख्या 27/2021
सी.आई.एस. नम्बर 27/2021

भारत भूषण पुत्र भैरूलाल, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)

---प्रार्थी

बनाम

01. **दीवानसिंह** पुत्र लालचन्द, निवासी नई बस्ती, असनावर, थाना असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

--वाहन चालक

02. **बाबूलाल** पुत्र लालचन्द, निवासी नई बस्ती, असनावर, थाना असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

---वाहन स्वामी

---अप्रार्थीगण

<u>दुर्घटना दावा याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम</u>

<u>उपस्थितः-</u>

01. श्री रामअवतार गुसा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
02. श्री रविशंकर विजय, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

:: अधिनिर्णय :: दिनांक:-07.03.2026

1. प्रार्थी/दावेदार ब्रजमोहन व भारतभूषण (जिन्हें आगे प्रार्थी से संबोधित किया जायेगा) द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पृथक-पृथक क्लेम याचिकाएं दिनांक 29.01.2021 व 03.02.2021 को इस अधिकरण के समक्ष पेश की गई हैं। उक्त क्लेम याचिकाएं एक ही दुर्घटना से सम्बन्धित हैं और इनके सम्बन्ध में पुलिस थाना खिलचीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 377/2020 दर्ज है, इसलिए उक्त दोनों क्लेम याचिकाओं का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने उक्त क्लेम याचिकाओं में इस आशय का अभिवचन किया है कि दिनांक 13.09.2020 को दोपहर प्रार्थी/आहतगण मोटरसाईकिल पर बैठकर अकलेरा से मोतीमहाराज मंदिर खिलचीपुर जा रहे थे कि ठंकारनाथ मंदिर से आगे बायपास से खिलचीपुर रोड़ पर मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 17 एस.पी. 9324 के चालक दीवानसिंह ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजगति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे ब्रजमोहन के बांये पैर की फीमर हड्डी पर दो व टखने पर दो फ्रेक्चर हुए तथा भारतभूषण के बांये पैर की फिबुला बोन व बांये हाथ की पांचवी मेटाकार्पल बोन पर फ्रेक्चर हुए जिससे वे अपना दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आहतगण दुर्घटना के पहले हष्ट, पुष्ट व स्वस्थ थे जो मजदूरी व काश्तकारी से 9,000/- रूपये माहवार कमाते थे।

3. याचिका के अनुसार वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 दीवानसिंह मोटरसाईकिल आर.जे. 17 एस.पी. 9324 का चालक था जो वाहन स्वामी बाबूलाल के हितार्थ व निर्देशन में वाहन चला रहा था। अप्रार्थी सं. 2 बाबूलाल उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 377/20 थाना खिलचीपुर में दर्ज करवाई गई।

4. प्रार्थी/आहतगण ने अपनी आय व प्रतिकर की राशि का अभिवचन किया है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण ब्रजमोहन व भारतभूषण के दुर्घटना में आई चोटो के कारण हुई मानसिक, शारीरिक कष्ट, इलाज, दुर्घटना के पश्चात व भविष्य में होने वाले उपचार, स्थाई निशक्तता के कारण क्षतिपूर्ति व रोजगार की हानि व अन्य विभिन्न मदों का उल्लेख करते हुए बतौर क्षतिपूर्ति 23,50,000-23,50,000/- रूपये पृथक-पृथक अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से प्रतिकर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

5. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर याचिका के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि दिनांक 13.09.2020 को दोपहर 3.00 बजे उनकी मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 17 एस.पी. 9324 से कोई

दुर्घटना घटित नहीं हुई। तथाकथित दुर्घटना प्रार्थीगण की गफलत, लापरवाही से अचानक लिंक रोड़ पर आ जाने से हुई है। क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए गलत तथ्यों पर क्लेम याचिका पेश की गई है। प्रार्थीगण जिस वाहन पर सवार थे उक्त वाहन के चालक, स्वामी व बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अन्त में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये-

1. आया दिनांक 13.09.2020 को दोपहर करीब 3 बजे स्थान ऊंकारनाथ मंदिर के आगे बायपास से खिलचीपुर रोड़ पर, अप्रार्थी सं. 1 दीवानसिंह ने वाहन मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 17 एस.पी. 9324 को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर प्रार्थीगण ब्रजमोहन व भारतभूषण की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे ब्रजमोहन के बांये पैर की फीमर हड्डी पर दो व टखने पर दो फ्रेक्चर हो गए तथा भारतभूषण के बांये पैर की फिबुला बोन व बांये हाथ की पांचवी मेटाकार्पल बोन पर फ्रेक्चर हो गया व उनके शरीर पर गम्भीर चोटें कारित हुई? ....प्रार्थीगण
2. आया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका, अप्रार्थीगण की ओर से जवाब याचिका में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है? यदि हॉ तो किस प्रकार? .....अप्रार्थीगण
3. क्या प्रार्थीगण, क्लेम याचिका में अप्रार्थीगण से 23,50,000-23,50,000/- रूपये मय ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं? ....प्रार्थीगण
4. अनुतोष?

7. प्रार्थी पक्ष की ओर से अपनी साक्ष्य में ए.ड. 01 भारतभूषण, ए.ड. 2 ब्रजमोहन बुद्धिप्रकाश के बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 39 प्रलेख प्रदर्शित कराये गये। अप्रार्थी की ओर से एन.ए.ड. 01 दीवानसिंह के बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

8. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस याचिका में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मोटरसाईकिल नं. आर.जे. 17 एस.पी. 9324 को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे उनके शरीर पर फ्रेक्चर हुए व गम्भीर उपहति कारित हुई। उनकी साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण की क्षति के

लिए अप्रार्थीगण प्रतिकर अदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। क्लेम याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई दुर्घटना कारित नहीं की बल्कि प्रार्थीगण स्वयं अपनी गफलत व लापरवाही से अचानक लिंक रोड़ पर आ गए जिस कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई है। दुर्घटना में अप्रार्थीगण की कोई उपेक्षा या लापरवाही नहीं रही है। प्रार्थीगण ने बड़ाचढाकर प्रतिकर राशि का उल्लेख किया है। क्लेम याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

10. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त प्रत्येक विवाद्यक पर अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

विवाद्यक संख्या 01

11. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इस संबंध में प्रार्थी साक्षी क्रमांक 01 भारत भूषण ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याचिका के तथ्यों को दोहराया है और दाण्डिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं स्वयं के चिकित्सीय उपचार संबंधी पर्ची, बिल, डिस्चार्ज टिकिट आदि को प्रदर्शित करवाया है। अप्रार्थीगण की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जिस मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट हुआ था उसके नम्बर उसने ही देखे थे। उसने जब रिपोर्ट लिखवाई थी तब उसी समय उसने मोटरसाईकिल के नम्बर लिखा दिये थे। आगे कथन किया कि जहां हाईवे और लिंक रोड़ मिलते हैं वहां दुर्घटना हुई थी। हाईवे से दीवानसिंह अकलेरा की ओर जा रहा था और उसके अचानक सामने आ जाने से उनकी टक्कर हो गई। साक्षी का कथन है कि वक्त घटना उसकी मोटरसाईकिल वह स्वयं चला रहा था। उसने हेलमेट लगा रखा था, पीछे बैठे ब्रजमोहन ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। अप्रार्थी दीवानसिंह के तेज गति से आने के कारण उसका बेलेंस बिगड़ गया था।

12. साक्षी क्रमाक 2 ब्रजमोहन ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याचिका के तथ्यों को दोहराया है एवं स्वयं के चिकित्सीय उपचार संबंधी पर्ची, बिल, डिस्चार्ज टिकिट आदि को प्रदर्शित करवाया है। अप्रार्थीगण की प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह तो दुर्घटना के समय बेहोश हो गया था, मोटरसाईकिल के नम्बर जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने बताये थे व चालक को पकड़ लिया था। उसे 5-6 दिन बाद झालावाड़ में होश आया था। आगे कथन किया है कि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था चालक ने हेलमेट पहन रखा था। दुर्घटना मेन रोड़ पर हुई थी। यह स्वीकार किया कि उसने ईलाज में कोई पर्चा पेश नहीं किया केवल बिल पेश किए।

13. अप्रार्थी साक्ष्य में अप्रार्थी साक्षी क्रमांक 1 दीवानसिंह ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में जवाब याचिका के तथ्यों को दोहराया है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ दुर्घटना का मुकदमा खिलचीपुर की अदालत में चल रहा है। यह स्वीकार किया है कि उसके पास दुर्घटना वाले दिन मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस नहीं था। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि टक्कर होते ही वह दुर्घटना स्थल से भाग गया था।

14. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट होता है कि दुर्घटना की लिखित रिपोर्ट आहत/प्रार्थी भारत भूषण ने घटना के दिवस दिनांक 13.09.2020 को दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार वह आहत ब्रजमोहन के साथ मोटरसाईकिल पर ऊंकारनाथ मंदिर के आगे बाईपास से खिलचीपुर रोड़ की तरफ आ रहा था कि राजगढ़ बाईपास की तरफ से मोटरसाईकिल आर.जे. 17 एस.पी. 9324 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से उनके टक्कर मार दी। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में अभियोग सं. 377/20 धारा 279, 337 भा.द.सं. व 184 एम.वी. एकट में दर्ज किया गया है। अन्वेषण के दौरान आरोपी मोटरसाईकिल आर.जे. 17 एस.पी. 9324 को जरिये फर्द प्रदर्श 4 जप्त किया गया है। मोटरसाईकिल चालक अभियुक्त दीवानसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी-5 जप्त किया गया। उक्त मोटरसाईकिल की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 में मोटरसाईकिल की क्लच, हेडलाईट, इंडीकेटर क्षतिग्रस्त होना दर्शाए गए हैं। नक्शा मौका प्रदर्श 3 में दुर्घटना स्थल को दर्शाया गया है। प्रार्थी ब्रजमोहन की मरीज भर्ती पर्चा सीएचसी खिलचीपुर प्रदर्श 39 में दिनांक 13.09.2020 को उसे भर्ती किया जाना व अग्रिम उपचार के लिए हायर सेंटर पर रेफर किया जाना वर्णित है। आहत ब्रजमोहन की दाहिनी टांग में अस्थिभंग होना तथा बांयी टांग के टखने के एक्स-रे की सलाह दिया जाना दर्शित होता है। प्रदर्श 39 के अनुसार आहत ब्रजमोहन को दुर्घटना के कारण दिनांक 13.09.2020 को गम्भीर हालत में भर्ती किये जाने का तथ्य वर्णित है। डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श 13 के अनुसार आर्थोपेडिक ट्रोमा सेंटर एण्ड जनरल हॉस्पीटल झालावाड़ में आहत ब्रजमोहन को दिनांक 13.09.2020 को भर्ती किया जाना व 18.09.2020 को डिस्चार्ज किया जाना प्रकट होता है।

15. प्रार्थी/आहत भारत भूषण की एमएलसी एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श 10 में बांये हाथ की मेटाकार्पल अस्थि एवं फेबुला अस्थि का भंग होना अंकित है। आहत भारत भूषण के मरीज भर्ती पर्चा प्रदर्श 7 में दिनांक 13.09.20 को सीएचसी खिलचीपुर में भर्ती कराया जाना और अग्रिम उपचार के लिए हायर सेंटर पर रेफर किया जाना प्रकट होता है।

16. न्यायालय के विनम्र मत में क्लेम याचिका के निस्तारण के लिए यह अपेक्षा नहीं की जाती कि प्रार्थी अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित

करे। संभावनाओं की प्रबलता के मानक को दृष्टिगत रखते हुए कठोर निर्वचन के स्थान पर उदार निर्वचन किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) ए.सी.टी.सी. (एस.सी.) 479 मंगलाराम बनाम ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः-

I. Motor vehicles Act, 1988- Sec. 166- Establishment of claim case- Claimants are merely to establish their case on the touchstone of the preponderance of probability- Standard of proof beyond reasonable doubt cannot be applied by Tribunal while dealing with the motor accident cases.

ii- Negligence-Determination-Way of-Filling of charge sheet against the driver of offending vehicle prima facie points towards his complicity in driving the vehicle negligently and rashly-Even when the accused were to be acquitted in the criminal case, the same may be of no

effect on the assessment of the liability required in respect of motor accident cases by the Tribunal

17. प्रकरण में अनुसंधान के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 दीवानसिंह के विरूद्व आरोप-पत्र प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी साक्षियों ने क्लेम याचिका के अभिकथनों की पुष्टि की है जिसका अप्रार्थी की साक्ष्य से खण्डन नहीं हुआ। स्वयं अप्रार्थी साक्षी 1 दीवानसिंह ने मुख्य परीक्षा में प्रार्थीगण की उपेक्षा का मौखिक कथन अवश्य किया है लेकिन उसने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना का मुकदमा खिलचीपुर अदालत में उसके विरूद्ध विचाराधीन है और यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटना के दिन उसके पास मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस नहीं था। इस साक्षी के अनुसार टक्कर होते ही वह दुर्घटना स्थल से भाग गया था। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ है कि प्रश्नगत दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 की उपेक्षा और उतावलेपन से कारित हुई जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थीगण के शरीर पर साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई है। अप्रार्थी सं. 2 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है जो स्वयं साक्ष्य में पेश नहीं हुआ है। साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि दुर्घटना के समय अप्रार्थी सं. 1 उक्त वाहन को अप्रार्थी सं. 2 के नियोजन में व उसकी सहमति से चला रहा था। अतः समस्त तथ्यों परिस्थितियों से **विवाद्यक संख्या-01** प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

विवाद्यक संख्या-02

18. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। विवाद्यक संख्या 01 में इस संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुए उक्त विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित पाया गया है। अप्रार्थी साक्षी के कथन से क्लेम याचिका के तथ्यों का खण्डन नहीं हुआ है। इसलिए जवाब याचिका में वर्णित आपत्तियों के आधार

पर याचिका को खारिज किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः **विवाद्यक सं. 02** अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक सं. 3

19. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण ने पृथक पृथक क्लेम याचिकाएं पेश की है। जिनके सम्बन्ध में निम्नानुसार विनिश्चय किया जा रहा है-

क्लेम याचिका सं. 20/2021 प्रार्थी ब्रजमोहन के संबंध मेंः-

20. प्रार्थी ब्रजमोहन की ओर से स्वयं की चोटों के लिए क्लेम याचिका में कुल 23,50,000/- रूपये प्रतिकर की मांग की गई है। साक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थी ब्रजमोहन के मरीज भर्ती पर्चा सीएचसी खिलचीपुर प्रदर्श 39 के अनुसार आहत ब्रजमोहन को दिनांक 13.09.2020 को भर्ती किया गया था व अग्रिम उपचार के लिए हायर सेंटर पर रेफर किया गया है। जिसमें आहत ब्रजमोहन की दाहिनी टांग में अस्थिभंग होना तथा बांयी टांग के टखने के एक्स-रे की सलाह दिया जाना दर्शित होता है। आर्थोपेडिक ट्रोमा सेंटर एण्ड जनरल हॉस्पीटल झालावाड़ के डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श 13 के अनुसार आहत ब्रजमोहन को दिनांक 13.09.2020 को भर्ती किया जाना व 18.09.2020 को डिस्चार्ज किया जाना प्रकट होता है। उक्त डिस्चार्ज कार्ड के अनुसार आहत ब्रजमोहन के बांयी फीमर अस्थि एवं बांये पंजे के अंगूठे व अंगुली की अस्थि के फ्रेक्चर पाए गए हैं। इन तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है और अप्रार्थी की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी ब्रजमोहन निम्नानुसार प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है-

कष्ट एवं वेदना स्वरूप क्षतिपूर्ति राशिः-

21. पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय दस्तावेजों से दर्शित होता है कि दुर्घटना के कारण प्रार्थी ब्रजमोहन की फीमर अस्थि के दो फ्रैक्चर एवं पंजे की दो अंगुलियों की अस्थियों के फ्रेक्चर पाए गए हैं। वह छः दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है। इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा सहन की गई कष्ट एवं वेदना के लिए उसे **30,000/-रूपये** प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अस्पताल में भर्ती रहने के कारण क्षतिपूर्ति राशि-

22. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श 13 के अनुसार वह दिनांक 13.09.2020 से 18.09.2020 तक छः दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है। अतः इस मद में प्रार्थी को **4,000/- रूपये** प्रतिकर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

चिकित्सीय उपचार व्यय के लिए क्षतिपूर्ति राशि -

23. प्रार्थी ब्रजमोहन ने अपने उपचार सम्बन्धी आर्थोपेडिक ट्रोमा सेंटर एण्ड जनरल हॉस्पीटल झालावाड़ का डिटेल फाईनल बिल प्रदर्श 14 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार चिकित्सीय व्यय 30,000/- रूपये वहन किया गया है। यद्यपि प्रार्थी ब्रजमोहन की ओर से प्रदर्श 16 से 37 दवाओं के बिल प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु उनसे संबंधित चिकित्सक की पर्चियां पेश नहीं की गई। साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी ब्रजमोहन ने यह स्वीकार किया है कि उसने ईलाज का कोई पर्चा पेश नहीं किया है केवल बिल पेश किये हैं। इसलिए प्रार्थी ब्रजमोहन द्वारा प्रस्तुत डिटेल फाईनल बिल प्रदर्श 14 के अतिरिक्त बिलों की राशि को प्रतिकर की गणना में लिये जाने का उचित आधार नहीं पाया जाता। इस प्रकार इस मद में क्षतिपूर्ति राशि **30,000/- रूपये** निर्धारित की जाती है।

सम्पत्ति की हानि के लिए प्रतिकर-

24. इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने सम्पत्ति की क्षति के लिए 2,000/- रूपये की मांग की है। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है फिर भी अनुमानित रूप से प्रार्थी को कपडों की हानि के लिए **1,000/- रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

25. अतः प्रार्थी ब्रजमोहन निम्नानुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है-

क्र.सं.	**नाम मद जिसमें राशि दिलाई गई**	**राशि रूपयों में**
1.	कष्ट एवं पीड़ा के लिए प्रतिकर	30,000
2.	अस्पताल में भर्ती रहने के कारण प्रतिकर	4,000
3.	चिकित्सीय उपचार के व्यय के लिए प्रतिकर	30,000
4.	सम्पत्ति की हानि के लिए प्रतिकर	1,000
	कुल प्रतिकर राशि	**65,000**

<u>क्लेम याचिका सं. 27/2021 प्रार्थी भारत भूषण के संबंध में:-</u>

कष्ट एवं वेदना स्वरूप क्षतिपूर्ति राशिः-

26. प्रार्थी भारत भूषण की ओर से याचिका में क्लेम याचिका में कुल 23,50,000/- रूपये प्रतिकर की मांग की गई है। साक्ष्य में प्रस्तुत उसके एमएलसी/एक्स-रे की रिपोर्ट प्रदर्श 10 में पांचवी मेटाकार्पल अस्थि तथा फेबुला अस्थि के भंग होना पाए गए हैं। प्रार्थी भारत भूषण के मरीज भर्ती पर्चा प्रदर्श 07 में उसे दिनांक 13.09.2020 को सीएचसी खिलचीपुर में भर्ती करना व अग्रिम उपचार के लिए हायर सेंटर में प्रेषित करने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त आर्थोपेडिक ट्रोमा सेंटर एण्ड जनरल हॉस्पीटल की स्लिप प्रदर्श 9 में दिनांक

13.09.2020 को उपचार के लिए प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। प्रार्थी भारत भूषण की चोटों के तथ्य का खण्डन नहीं हुआ। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी भारत भूषण को उसकी चोटों के कारण हुए कष्ट, वेदना के लिए **15,000/-** रूपये प्रतिकर निर्धारित किया जाता है।

चिकित्सीय उपचार व्यय के लिए क्षतिपूर्ति राशि -

27. प्रार्थी भारत भूषण ने अस्पताल में भर्ती होने व उपचार में व्यय तथा इस दौरान आय की क्षति के लिए प्रतिकर की मांग की है किन्तु अस्पताल में भर्ती रहने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उसके द्वारा दवाईयों के दो बिल प्रदर्श 11 व 12 प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें भी प्रदर्श 11 की पुष्टि चिकित्सक की पर्ची प्रदर्श 9 से होती है। इसलिए प्रार्थी भारत भूषण चिकित्सय व्यय के लिए बिल प्रदर्श 11 के अनुसार **955/- रूपये** प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है।

सम्पत्ति की हानि के लिए प्रतिकर-

28. इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने सम्पत्ति की क्षति के लिए 2,000/- रूपये की मांग की है। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है फिर भी अनुमानित रूप से प्रार्थी को कपडों की हानि के लिए **1,000/- रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

29. अतः प्रार्थी भारत भूषण निम्नानुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है-

क्र.सं.	**नाम मद जिसमें राशि दिलाई गई**	**राशि रूपयों में**
1.	कष्ट एवं पीड़ा के लिए प्रतिकर	15,000
2.	चिकित्सीय उपचार के व्यय के लिए प्रतिकर	955
3.	सम्पत्ति की हानि के लिए प्रतिकर	1000
	कुल प्रतिकर राशि	**16,955**

विवाद्यक सं. 04

30. प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित करते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि से प्राप्त किये जाने का अधिकारी माना गया है एवं विवाद्यक सं. 3 में प्रार्थीगण को दिलाये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थीगण ब्रजमोहन व भारत भूषण द्वारा प्रस्तुत यह दुर्घटना क्लेम याचिका उक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

पंचाट

31. प्रार्थीगण ब्रजमोहन व भारत भूषण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिकाएं अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 उक्तानुसार स्वीकार की जाकर उक्त प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पंचाट निम्नानुसार पारित किया जाता हैः-

क्लेम याचिका सं. 20/2021 प्रार्थी ब्रजमोहन के संबंध मेंः-

1- अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 संयुक्ततः व पृथकतः-पृथकतः प्रतिकर राशि **65,000/- रूपये** प्रार्थी ब्रजमोहन को अदा करेंगे एवं इस पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 29.01.2021 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा किया जायेगा। प्रार्थी की शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

2- उक्त राशि में से पूर्व में प्रार्थी को धारा 140 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत दिलाई गई राशि यदि कोई हो और वह अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अदा कर दी गई हो तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित की जावेगी।

3- प्रार्थी को देय क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिकर प्रार्थी निम्नानुसार जरिये बैंक बचत खाता नकद प्राप्त करेगा एवं सावधि जमा खाता में जमा करवाई जायेगी। सम्पूर्ण ब्याज राशि प्रार्थी को नकद अदा की जायेगी जो प्रार्थी/आवेदक जरिये बैंक बचत खाता नकद प्राप्त करेगा।

4- अवार्ड राशि का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता	एफ.डी.आर.	अवधि
	ब्रजमोहन	65,000/- एवं ब्याज राशि	--	--

क्लेम याचिका सं. 27/2021 प्रार्थी भारत भूषण के संबंध मेंः-

1- अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 संयुक्ततः व पृथकतः-पृथकतः प्रतिकर राशि 11,955/- रूपये प्रार्थी भारत भूषण को अदा करेगे एवं इस पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 03.02.2021 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा किया जायेगा। प्रार्थी की शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

2- प्रार्थी को देय क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिकर प्रार्थी जरिये बैंक बचत खाता नकद प्राप्त करेगा। सम्पूर्ण ब्याज राशि भी प्रार्थी को नकद अदा की जायेगी।

3- उक्त राशि में से पूर्व में प्रार्थी को धारा 140 एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत दिलाई गई राशि यदि कोई हो और वह अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अदा कर दी गई हो तो वह राशि अवार्ड राशि में समायोजित की जावेगी।

4- अवार्ड राशि का वितरण निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता	एफ.डी.आर.	अवधि
	भारत भूषण	16,955/- एवं ब्याज राशि	--	--

32. न्यायिक दृष्टान्त ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. V. STATE OF RAJASTHAN & ANR. SB CIVIL WRIT NO. 6237/2017 के अनुसरण में आदेश किया जाता हैः-

1- अप्रार्थीगण पंचाट में पारित प्रतिकर राशि का भुगतान अधिकरण के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अकलेरा के खाता संख्या **31165807186**, IFSC Code- SBIN0006690 में NEFT/RTGS के माध्यम से करेगें।

2- अप्रार्थीगण द्वारा पंचाट की उक्त पालना के संबंध में 15 दिवस में सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, साथ ही उक्त सूचना प्रार्थी/प्रार्थीगण को भी दी जायेगी। प्रतिकर राशि जमा होने के पश्चात अधिकरण का बैंक पंचाट के अनुसार प्रार्थीगण को उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करेगा।

3- प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नही जोड़ेगा।

4- प्रार्थीगण का बैंक उसको उक्त सावधि जमा खाता में जमा राशि के सम्बन्ध में अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नही करेगा एवं अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(मुकेश कुमार सोनी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अकलेरा, जिला झालावाड़

26. यह अधिनिर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित-मुद्रांकित किया गया एवं विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार सोनी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
अकलेरा, जिला झालावाड़

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL WAJID CHISTY

Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by ABDUL WAJID CHISTY
Date: 2026.03.11 11:55:03 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।